ई-मेल द्वारा
एचओ/डीओएस/डीएके/2026/ 05245
23 अप्रैल, 2026

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी पंजीकृत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां

महोदया/महोदय,

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) द्वारा दंडात्मक शुल्क लगाए जाने पर परामर्श

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) निर्देश, 2025 के पैरा 30 का संदर्भ लिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि, "यद्यपि दंडात्मक शुल्क के लिए कोई ऊपरी सीमा / कैप निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि NBFC को, दंडात्मक शुल्क पर अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दंडात्मक शुल्क लगाने का उद्देश्य मूलतः ऋण अनुशासन की भावना को विकसित करना है और ऐसे शुल्क का उपयोग राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।"

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के पर्यवेक्षण निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रथाएं देखी गई हैं:

1. उसी उल्लंघन की घटना के लिए, जो ऋण अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों एवं नियमों के अनुपालन न करने से संबंधित है अर्थात EMI/ऋण के भुगतान में चूक, दंडात्मक शुल्क के अतिरिक्त बाउंस शुल्क भी लगाया जा रहा है;
2. बाउंस शुल्क संचालन से संबंधित संग्रह/वसूली गतिविधियों पर हुए परिचालन व्यय/लागत की वसूली के लिए लगाया जा रहा है, जबकि परिचालन व्यय/लागत प्राइम लेंडिंग रेट (PLR) निर्धारित करने के प्रमुख घटकों में से एक है, जो आगे चलकर उधारकर्ता से वसूले जाने वाली अंतिम ब्याज दर से जुड़ा होता है;
3. बाउंस शुल्क के अतिरिक्त, वसूली से संबंधित व्ययों के लिए अलग-अलग शुल्क भी वसूले जा रहे हैं, जैसे कि कलेक्शन फॉलो-अप शुल्क, साइट विजिटेशन शुल्क आदि;

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) निर्देश, 2025 के अनुसार, दंडात्मक शुल्क या ऋणों पर लगाए जाने वाले समान प्रकार के अन्य शुल्कों (किसी भी नाम से) पर अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसे शुल्कों का उपयोग राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में न किया जाए।

भवदीय,

(रंजन कुमार बरुण)
महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग